राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक F.1 (1) (1) आ.प्र. एवं सहा/2010/5721 जयपुर, दिनांक [illegible]

जिला कलक्टर,
समस्त अभावग्रस्त जिले।

विषयः–अभाव सम्वत 2066 (खरीफ फसल 2009) में प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) के सहायता के मानदण्डों में लघु एवं सीमान्त कृषक, जिनकी बोई गई फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा हुआ है, को कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा सम्वत 2066 में अभावग्रस्त जिलों के प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को सी.आर.एफ. मापदण्डों के अनुसार कृषि आदान अनुदान रूपये 2000/–प्रति हेक्टेयर की दर से दिये जाने के राज्य कार्यकारी समिति के प्रस्ताव के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

(1) अभावग्रस्त घोषित किये गये समस्त जिलों के जिला कलक्टर्स द्वारा योजना का क्रियान्वयन सी.आर.एफ. में निर्धारित मापदण्डानुसार, दिये जा रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए, किया जावेगा।

(2) <u>जिला स्तरीय समितिः–</u> जिला स्तर पर जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में कृषि एवं सहकारिता विभाग / केन्द्रीय सहकारी बैंक के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे। इस समिति के द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

<u>उपखण्ड स्तरीय उपसमितिः–</u> उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व सहकारिता विभाग के उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की एक उप समिति का गठन किया जायेगा जो कि अपने क्षेत्र में इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उत्तदायी रहेगी।

<u>ग्राम स्तरीय समितिः–</u> इस समिति में सम्बन्धित गांव का पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक तथा सहकारिता विभाग/समिति का स्थानीय कर्मचारी सदस्य होंगे जो कि गांव में इस योजना की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी होंगे।

<u>योजना अन्तर्गत पात्र कृषकः–</u> कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए पटवारी द्वारा जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अपने क्षेत्र के लघु, एवं सीमान्त कृषकों की सूची पृथक्–पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जाएगी :–

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची

ग्राम .... पटवार हल्का .... तहसील ....

क्र. सं.	कृषक का नाम मय सकूनत	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा(हेक्ट.में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हेक्ट.में)	रकबा खराबा (हेक्ट.में) (50 प्रतिशत या इससे अधिक)	देय अनुदान एस.एम.एफ. के लिए @ 2000/- प्रति हेक्टर, (न्यूनतम रू. 250/–)	बैंक खाते का विवरण (यदि उपलब्ध हो)	
						बैंक मय शाखा का नाम	काश्तकार का खाता संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

हल्का पटवारी उक्त ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से, अपने हल्के की सूचियां तैयार कर राजस्व निरीक्षक को प्रेषित करेंगे और राजस्व निरीक्षक इन सूचियों को सत्यापित कर तहसीलदार को प्रेषित करेंगे, जो कि इनके आधार पर कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे। तहसीलदार से स्वीकृति के उपरान्त पटवारी द्वारा ग्राम सचिव व कृषि

पर्यवेक्षक के सहयोग से पात्र कृषकों की सूची एवं उनको स्वीकृत की गयी राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा एवं इस सम्बन्ध में समस्त प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा अपनी तहसील के लिए इसी आधार पर आवश्यक बजट की मांग जिला कलक्टर से की जावेगी।

<u>अनुदान सहायता की दरः–</u>लघु एवं सीमान्त श्रेणी के प्रभावित किसानों को उनके द्वारा खरीफ 2009 में गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार बोये गये क्षेत्रफल (जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक खराबा दर्ज है) के आधार पर अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक, रूपये 2000/–प्रति हेक्टेयर की दर (न्यूनतम 250/–रू.) से कृषि आदान अनुदान देय होगा।

<u>कृषि आदान अनुदान का भुगतानः–</u> संबंधित जिला कलक्टर, कृषि आदान अनुदान मद में प्राप्त राशि, इकजाई, अपने जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा कराकर, जिले के प्रभावित लघु/सीमान्त कृषकों की सूची, मय उन्हें देय अनुदान राशि के विवरण के, उक्त बैंक को यथाशीघ्र उपलब्ध करावेगें, ताकि सहकारी बैंक सूची अनुसार राशि उन काश्तकारों के बैंक/मिनीबैंक खातों में तुरन्त हस्तान्तरित कर सकें।

केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला कलक्टर से प्राप्त राशि को प्राप्त होते ही सर्वप्रथम अपने खाते में जमा करलें। तत्पश्चात् जिला कलक्टर से जैसे–जैसे प्रभावित काश्तकारों की सूची प्राप्त होती जावे, वैसे–वैसे, बिना विलम्ब के, उन काश्तकारों के बैंक/मिनीबैंक खातों में हस्तान्तरित करते जावे। जिन काश्तकारों के पूर्व से बेंक खाते नहीं है, उनके खाते अपने स्तर पर नजदीकतम बैंक/मिनी बैंक में खुलवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में राजस्व/कृषि/ग्रामीण विकास की ऐजेन्सियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जावेगा।

कृषकों के खातों में राशि जमा की साप्ताहिक सूचना, के.सह.बैंक द्वारा जिला कलक्टर को उपलब्ध कराई जावेगी। जिला कलक्टर साप्ताहिक प्रगति से राज्य सरकार को अवगत कराऐंगे। भुगतान पूर्ण होने पर जिला कलक्टर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विस्तृत व्यय विवरण) राज्य सरकार को प्रेषित करेगें। साथ ही, अवशेष राशि (यदि कोई हो) राज्य सरकार को समर्पित करेगें।

भुगतान की कार्यवाही यथा संभव 25 फरवरी, 2010 तक पूर्ण करली जावें। सभी जिला कलक्टर किसी भी हालत में, 31 मार्च, 2010 के पूर्व उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

टिप्पणी :–

काश्तकार – इस प्रयोजन हेतु उसे ही काश्तकार माना जावेगा, जिसका नाम जमाबंदी में खातेदारी/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा। सहखातेदार के हिस्से में आने वाले नोशनल हिस्से की गणना कर उसकी जोत (holding) का आकार निकाला जावेगा। इसमें सभी काश्तकार के एक अथवा अधिक गांवों में विधमान सभी खातों को ध्यान में रखना होगा।

बैंक खाता – समस्त भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही किया जावेगा, न कि नकद। जिन काश्तकारों के वर्तमान में बैंक खाते नही है, उनके नये खाते सहकारी बेंक/सहकारी समिति के माध्यम से खुलवाने होगें। इस हेतु सहकारी विभाग ने सभी के खाते खोलने हेतु अपनी सहमति प्रकट कर दी है। इस सम्बन्ध में कोई भी समस्या आने पर सम्बन्धित जिला कलक्टर, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता व रजिस्ट्रार सहकारिता से सम्पर्क कर सकते है।

उक्त अनुसार जिलेवार आवश्यक बजट का आवंटन पृथक् से किया जा रहा है।
यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

17/2/10
(तन्मय कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अति॰मुख्य सचिव (कृषि)
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता

शासन उप सचिव 17/2/10